सर्टिफिकेट के बाद ही आवंटित होगा फ्लैट

पटना, जागरण ब्यूरो : अब सक्षम पदाधिकारी द्वारा सर्टिफिकेट जारी किये जाने के पश्चात ही बिल्डर फ्लैट का आवंटन कर सकेंगे। ऐसे कई प्रावधान गुरुवार को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) विधेयक-2011 में किये गए हैं। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह विधेयक आवंटियों की सुविधा के लिए बना है। वहीं नये विधेयक के अनुसार बिल्डरों को अब रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि जल्द ही नियम बनाए जाएंगे। यह तय किया जाएगा कि सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए कौन सक्षम पदाधिकारी होगा। निर्धारित समय पर फ्लैट आवंटित नहीं करने पर आवंटियों को विलंब के हर माह के लिए हर्जाना देना होगा। बिल्डर अगर निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर अपार्टमेंट बनाएंगे, तो उन्हें दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पहले जुर्माने की राशि मात्र दो हजार रुपये थी। यह भी प्रावधान किया गया है कि हर अपार्टमेंट में सोसाइटी का गठन अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही आवंटियों को अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क भी देनी होगी। विधेयक पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि 2006 में मूल विधेयक बना था। इसका उद्देश्य आवंटियों को बिल्डर के शोषण से बचाना था। परन्तु नगर विकास विभाग द्वारा कई बिल्डरों के खिलाफ प्रतिवेदन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक को लागू तो नहीं कर पाती, लेकिन इसमें संशोधन जरूर करती है। मंत्री प्रेम कुमार ने सदन में बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2011 भी पेश किया, जो ध्वनि मत से पारित हुआ। सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2011 सदन में पेश किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सहकारिता समितियों का चुनाव नौ माह में कराया जाना है। चूंकि सूबे में करीब 28 हजार समितियां हैं, इस कारण छह माह में चुनाव कराना संभव नहीं है। इस विधेयक को भी सदन की मंजूरी मिल गयी।